


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 1658—अध्यक्ष/15

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8—7—2015	<p>आवेदकगण की ओर से श्री एस0 के0 खरे, अभिभाषक उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदकगण की ओर से तहसीलदार, मुरार ग्वालियर द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 27—5—2015 के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार द्वारा अभी आवेदक को केवल कारण बताओं सूचना पत्र दिया गया है और उसे अपना पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर तहसीलदार के समक्ष उपलब्ध है। अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया प्रीम्योच्योर होने से अग्राह्य की जाती है।</p>	 <p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर  
प्रकरण क्रमांक / 2015 निगरानी

निगरानी/५५८-PBR-१५

चन्द्रपाल सिंह सेंगर पुत्र श्री मुंशीसिंह सेंगर  
आयु— 61 वर्ष, व्यवसाय—रिटायर  
निवासी—जनकपुरी गेट के पास,  
आदित्यपुरम, ग्वालियर .....आवेदक

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जिला  
ग्वालियर .....अनावेदक

श्री..... भृपेन्द्र माई (B. K. Mane)  
द्वारा आज दि २३-६-१५ को (भृपेन्द्र माई)  
प्रस्तुत  
कलक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.ज. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, विरुद्ध आदेश दिनांक 27/05/2015 पारित द्वारा तहसीलदार महोदय मुरार जिला ग्वालियर (म0 प्र0) जो प्रकरण क्रमांक 25/अ— 68/14.—15 में पारित कर निगरानी कर्ता को कारण वताओ नोटिस अन्तर्गत धारा 248(1) म0प्र0 भू—राजस्व संहिता प्रदान कर खसरा नं 0 513—514 के 2000 वर्गफुट शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा वताते हुए कार्यवाही करने का आदेश प्रदान किया है। निगरानी अन्तर्गत आदेश प्रदर्श ए—१ से चिन्हित किया गया है।